वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 07.04.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला,हिंदुस्तान,आज,न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, जागरुक एक्स्प्रेस,सन्देश वाहक," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 07.04.2026

व्यावसायिक भवनों में अब पार्किंग का निर्माण जरूरी

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने व्यावसायिक निर्माणकर्ताओं, आवेदकों से व्यावसायिक भवनों में पार्किंग प्राधिकरण के निर्धारित मानकों और उपविधियों के मुताबिक करने को कहा है। निर्देश दिए हैं कि मानक के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना किसी भी भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि वाराणसी शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या एक गंभीर विषय है, जिसमें समुचित पार्किंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः सभी संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकरण की उपविधियों में निर्धारित पार्किंग मानकों का पालन करते हुए ही निर्माण कार्य कराएं, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। वीडीए ने यह भी निर्देशित किया है कि सभी आवेदक मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन करते समय पार्किंग से संबंधित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है।

हिन्दुस्तान –दि0 07.04.2026

बिना पार्किंग के पास नहीं होगा नक्शा

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि व्यावसायिक भवनों के नक्शे बिना पार्किंग सुविधा के स्वीकृत नहीं होंगे। वीडीए में नक्शे के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यवसायिक निर्माणकर्ताओं को यह निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। सभी जोनल अधिकारियों को इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए गये हैं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज –दि0 07.04.2026

छितौनी कोटमें प्लाटिंगपर चली वीडीए की जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर सोमवारको बच्छावके छितौनी कोटमें लगभग दस बीघेमें हुई प्लाटिंगपर जेसीबी चला दी गयी। इस सम्बन्धमें क्षेत्रीय अवर अभियन्ता रोहितने बताया कि कालोनाइजरने लेआउट स्वीकृत नहीं कराया था और उसके लिए विभागसे कई बार नोटिस भेजी गयी थी। नोटिसका जवाब न देने और बनाये गये कालोनीका लेआउट स्वीकृत न करानेके विरुद्ध दस बीघेमें किये एक दर्जनसे अधिक प्लाटिंगोंपर जेसीबी चला दी गयी। इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों आगाह किया गया कि बिना विभागसे अनुमतिके प्लाटिंगके क्रय-विक्रय न करें। अचानक हुई ध्वस्तीकरण कारखाईसे क्षेत्रमें निवास कर रहे लोग आश्चर्यचकित हो गये। हालांकि वीडीए के रक्षकोंकी देखरेखमें किये गये प्लाटिंगको ध्वस्त करा दिया गया।

आज –दि0 01.04.2026

सील तोड़ कर निर्माण कराये जाने पर वीडीए ने दर्ज कराया मुकदमा

विकास प्राधिकरण के भेलूपुर जोन के अवर अभियंता रोहित कुमार ने खोजवाँ बाजार में भवन का मानचित्र स्वीकृत न होने पर सीज किये गये मकान के निर्माण कार्य जारी रखने पर उसके मालिक मोहम्मद आरिफ एवं अन्य के विरुद्ध रविवार को मुकदमा दर्ज कराया है। अवर अभियंता के अनुसार आरोपित मानचित्र स्वीकृत किये बिना ८५ वर्गमीटर भूमिखंड पर तीन मंजिला मकान बना रहा था। उक्त मकान को २० जनवरी को सीज कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया था। स्थल पर निरीक्षण के समय सील तोड़कर निर्माण कार्य किये जाने पर २७ फरवरी को ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित किया गया है।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 07.04.2026

व्यावसायिक भवनों में मानक के अनुरूप पार्किंग निर्माण अनिवार्य - उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा

वाराणसी । विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा द्वारा सभी व्यावसायिक निर्माणकर्ताओं/अ ावेदकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि व्यावसायिक भवनों में पार्किंग का निर्माण प्राधिकरण के निर्धारित मानकों एवं उपविधियों के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मानक के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना किसी भी भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही, निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है ।उपाध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या एक गंभीर विषय है, जिसमें समुचित पार्किंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः सभी संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकरण की उपविधियों में निर्धारित पार्किंग मानकों का पालन करते हुए ही निर्माण कार्य कराएं, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी आवेदक मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन करते समय पार्किंग से संबंधित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 07.04.2026

व्यावसायिक भवनों में मानक के अनुरूप पार्किंग निर्माण अनिवार्य : वीडीए उपाध्यक्ष

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी (जागरुक एक्सप्रेस)। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा द्वारा सभी व्यावसायिक निर्माणकर्ताओं/आवेदकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि व्यावसायिक भवनों में पार्किंग का निर्माण प्राधिकरण के निर्धारित मानकों एवं उपविधियों (By-laws) के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानक के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना किसी भी भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही, निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। उपाध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या एक गंभीर विषय है, जिसमें समुचित पार्किंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः सभी संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकरण की उपविधियों में निर्धारित पार्किंग मानकों का पालन करते हुए ही निर्माण कार्य कराएं, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी आवेदक मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन करते समय पार्किंग से संबंधित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

न्यायाधीश –दि0 07.04.2026

व्यावसायिक भवनों में मानक के अनुरूप पार्किंग निर्माण अनिवार्य – वाविप्रा उपाध्यक्ष

वाराणसी । वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा द्वारा सभी व्यावसायिक निर्माणकर्ताओं/आवेदकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि व्यावसायिक भवनों में पार्किंग का निर्माण प्राधिकरण के निर्धारित मानकों एवं उपविधियों (By-laws) के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानक के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना किसी भी भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही, निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि वाराणसी शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या एक गंभीर विषय है, जिसमें समुचित पार्किंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः सभी संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकरण की उपविधियों में निर्धारित पार्किंग मानकों का पालन करते हुए ही निर्माण कार्य कराएं, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी आवेदक मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन करते समय पार्किंग से संबंधित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

संदेश वाहक –दि0 07.04.2026

कल्लीपुर ग्राम में भूमि क्रय व लैंड पुलिंग को लेकर उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने किया निरीक्षण

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा द्वारा विकास कार्यों की प्रगति के क्रम में कल्लीपुर ग्राम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण करते हुए भूमि की वर्तमान स्थिति, सीमांकन एवं विकास की संभावनाओं का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष श्री बोरा ने किसानों एवं स्थानीय ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए भूमि क्रय एवं लैंड पुलिंग की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण द्वारा भूमि क्रय की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, आपसी सहमति एवं किसान हितों को प्राथमिकता में रखकर संपन्न की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुसार न्यायसंगत तरीके से किया जाएगा, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके तथा वे विकास कार्यों में भागीदार बन सकें। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों के सुझावों एवं समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। उपाध्यक्ष ने यह भी आश्वस्त किया कि प्राधिकरण जनसहभागिता के माध्यम से विकास कार्यों को गति देगा।